संख्या-36/2023/882/002-53-2002-001-9-2022

प्रेषक,

करुणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 अक्टूबर, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में नन्द बाबा दुग्ध मिशन को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-342/दुग्ध-9/नन्द बाबा दुग्ध मिशन/2023-24, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक "2404- डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-12- नन्द बाबा दुग्ध मिशन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5971.08 लाख में से शासनादेश संख्या-25/2023/473/001-53-2002-001-9-2022, दिनांक 06.07.2023 द्वारा धनराशि रू0 465.00 लाख निर्गत की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रू0 5506.08 लाख के सापेक्ष रू0 3360.00 लाख(रू0 तैतीस करोड़ साठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का आंकलन, निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप, मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
3. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
5. आंकडों की शुद्धता का दायित्व मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 का होगा।
6. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।
7. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये।
8. बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
9. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
13. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा कार्ययोजनाओं के सापेक्ष आवश्यकता के अनुरूप ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
14. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,60,00,000 (रुपये तैंतीस करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001021200 नन्द बाबा दुग्ध मिशन **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-231-X-2023-24, दिनांक- 06 अक्टूबर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
करुणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2023/882/002-53-2002-001-9-2022, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर (ऑडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।
7- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
8- गार्ड फाइल|

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in